

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय विनियामकों का मंच (एफओआईआर) - सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए

सहयोगात्मक नियामक तंत्र

नई दिल्ली 15 जून, 2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा भारतीय विनियामकों का मंच (एफओआईआर) की 24वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया गया, जिसमें मानद अध्यक्ष, एफओआईआर/अध्यक्ष, हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए), मानद उपाध्यक्ष, एफओआईआर/अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), मानद उपाध्यक्ष बैठक में एफओआईआर/अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), मानद उपाध्यक्ष, एफओआईआर/अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और अन्य अध्यक्ष और विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के सदस्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान, एफओआईआर में विभिन्न वर्टिकल सेक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच 5G और संबंधित तकनीकों को तेजी से अपनाने पर चर्चा हुई।

2. भारत में 01 अक्टूबर, 2022 को 5G सेवाएं शुरू की गई हैं। 5G तकनीक में विभिन्न उद्योग कार्यक्षेत्रों में लचीलेपन, उत्पादकता और दक्षता की अद्वितीय डिग्री को सक्षम करने की क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एआर/वीआर, स्मार्ट प्लेटफॉर्म और आईओटी के साथ मिलकर 5जी की क्षमता उपभोक्ताओं, संगठनों और समाज को बड़े पैमाने पर भारी मूल्य प्रदान कर सकती है। यह स्मार्ट सिटी, स्वायत्त वाहन, स्मार्ट कारखाने आदि बनाने के लिए सेवाओं के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। 5G तकनीक को अपनाने से अगले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 450 बिलियन डॉलर तक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. इससे पहले, दिनांक 30.09.2020 को एफओआईआर की 21वीं वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर, "ट्राई और विद्युत विनियामकों के बीच क्रॉस सेक्टर सहयोगात्मक विनियमन" पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। वर्किंग ग्रुप ने हवाई/भूमिगत फाइबर परिनियोजन, 5जी स्माल सेल परिनियोजन, स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट ग्रिड मॉनिटरिंग और तेजी से बुनियादी ढांचे के निर्माण और 5जी सेवाओं के तेजी से रोलआउट के लिए क्रॉस सेक्टर सहयोग पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उपसमूह की रिपोर्ट पर एफओआईआर और विनियामकों के फोरम (एफओआर) में भी चर्चा की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य आय के लिए डिस्कॉम और उपभोक्ताओं के बीच राजस्व साझा करने पर एसईआरसी के नियमों सहित कार्रवाई बिंदुओं की पहचान हुई; दूरसंचार सेवा प्रदाता को जारी किए गए कई कनेक्शनों के लिए एक बिल और एक ही बार में सभी कम्प्यूटेटिव बिलों का भुगतान, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा खपत की गई ऊर्जा के लिए अलग टैरिफ स्लैब।

4. 5G अवसंरचना की तैनाती के लिए "ट्राई और विद्युत विनियामकों के बीच क्रॉस सेक्टर सहयोगात्मक विनियम" पर कार्य समूह की सफलता से प्रोत्साहित होकर, ट्राई ने एफओआईआर में वर्टिकल सेक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 5G और संबंधित तकनीकों को तेजी से अपनाने पर अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए एक अन्य कार्य समूह के गठन का प्रस्ताव दिया। 5G की अपार क्षमता और संभावित योगदान को देखते हुए, एफओआईआर ने 5G और संबंधित तकनीकों जैसे AIML/IOT/M2M/AR/VR/Industry4.0 आदि को अपनाने से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करने हेतु एफओआईआर में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात् उद्योगों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रियल एस्टेट, खाद्य उद्योग आदि क्षेत्र विशिष्ट अनुप्रयोगों के साथ-साथ विनियामकों के लिए डेटा एनालिटिक्स, कार्यालय प्रबंधन, एमआईएस आदि विनियामकों का एक समूह स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। एफओआईआर के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श और सहमति के अनुसार, समूह के संयोजक के रूप में ट्राई के साथ विशेषज्ञ क्षेत्र के विनियामकों से सदस्यों को शामिल करके कार्य समूह का गठन किया जाएगा ।

5. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, सुश्री वंदना सेठी, सलाहकार (प्रशासन और आईआर), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली से दूरभाष-011-23221509, ईमेल - advadmn@traai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है ।

वि. रघुनंदन

(वी. रघुनंदन)

सचिव, ट्राई